



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26102021-230741
CG-DL-E-26102021-230741

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4094]
No. 4094]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 26, 2021/कार्तिक 4, 1943
NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 26, 2021/KARTIKA 4, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर, 2021

का.आ. 4449(अ).—जबकि, भारत सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि झारखण्ड राज्य में जगदीशपुर—हल्दिया—बोकारो—धामरा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए गेल (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा एक पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए ।

और भारत सरकार को उक्त पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उक्त भूमि में, जिसमें उक्त पाइप लाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतः अब, भारत सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती हैं

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां साधारण जनता को उपलब्ध कर दी जाती है, 21 दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाए जाने की संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, गेल (इण्डिया) लिमिटेड, रांची को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा ।

अनुसूची

जगदीशपुर—हल्दिया एण्ड बोकारो—धामरा पाईपलाइन प्रोजेक्ट
बोकारो अंगुल पाइपलाइन

राज्य—झारखण्ड

जिला	तहसील	गांव	थाना नं	सर्वे नम्बर	क्षेत्रफल		
					हेक्टेअर	— आर —	वर्ग मीटर
रांची	नामकुम	खरसीदाग	326	634	00	01	62
रांची	नामकुम	तेतरी	325	796	00	01	14
				795	00	00	49
				850	00	02	31
				947	00	02	79
				946	00	04	95
रांची	नामकुम	किसकी	292	902	00	00	20
				903	00	09	53
				909	00	00	49
				923	00	01	96

[फा. सं. एल-14014/109/2021-जीपी-II) (ई-39764)]

राकेश मिश्रा, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th October, 2021

S.O. 4449(E).—Whereas it appears to the Government of the India that it is necessary in public interest that for transportation of natural gas thorough **Jagdishpur-Haldia-Bokaro-Dhamra** Pipeline in the State of Jharkhand, a pipeline should be laid by GAIL (India) Limited.

And, whereas it appears to Government of India that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the Right of users in the land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed to this notification.

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the petroleum and minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962, (50 of 1962) Government of India hereby declares its intention to acquire the Right of User therein.

Any person interested in the described in the land described in the said Schedule may, within twenty one days from the date of which the copies of the notification issued under sub-section (1) of section 3 of the said Act, as published in the Gazette of India are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the Right of User therein for laying of the pipeline under the land to Competent Authority GAIL (India) Limited, Ranchi.

SCHEDULE

Jagdishpur-Haldia & Bokaro-Dhamra Pipeline Project
Bokaro Angul Pipeline

State – Jharkhand

District	Block	Village	Thana No.	Survey No.	Area		
					Hectare-Are-Sq-mtr		
Ranchi	Namkum	Kharsidag	326	634	00	01	62

Ranchi	Namkum	Tetri	325	796	00	01	14
				795	00	00	49
				850	00	02	31
				947	00	02	79
				946	00	04	95
Ranchi	Namkum	Kiski	292	902	00	00	20
				903	00	09	53
				909	00	00	49
				923	00	01	96

[F. No. L-14014/109/2021-GP-II) (E-39764)]

RAKESH MISHRA, Under Secy.